रणजीत टाइम्स

साप्ताहिक अख़बार

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

वर्ष 13 | अंक 25 | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य - 2 रु.

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

इंदौर प्रति मंगलवार , 18 नवम्बर 2025 से 24 नवम्बर 2025 तक

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा

नई दिल्ली। बांग्लादेश की अदालत में आज पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर फैसला आ चुका है। शेख हसीना के खिलाफ 5 गंभीर आरोप लगे हैं, जिसपर सुनवाई 23 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में जजों ने उन्हें दोषी ठहराते हुए कहा कि शेख हसीना ज्यादा से ज्यादा सजा की हकदार हैं। उन्हें फांसी की सजा दी गई है शेख हसीना के खिलाफ हत्या और साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तहत फांसी की मांग हो रही है। 23 अक्टूबर को सुनावई खत्म होने के बाद जजों ने फैसला सुरक्षित रखा था। यह फैसला 400 पेजों का है, जिसे 6 भाग में बांटा गया है। 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला-अदालत में चल रहे इस मामले में शेख हसीना के अलावा बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल का नाम शामिल है।

जस्टिस मोहम्मद गोलाम मजूमदार की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच मामले पर फैसला सुनाया है। बता दें कि फैसला सुनाने से पहले इसे पढ़कर रिकॉर्ड में रखा जा रहा है। यही वजह है कि फैसला आने में थोड़ी देरी हो सकती है। कोर्ट का कहना है कि कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शेख हसीना ने प्रदर्शनकारियों पर हमले का आदेश दिया था, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। अदालत को पूर्व पीएम के खिलाफ कई साक्ष्य भी मिले हैं। फांसी की सजा की मांग पर क्या बोलीं पूर्व पीएम ?- बांग्लादेश में कई विरोधी शेख हसीना के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि, शेख हसीना ने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनपर लगे आरोप पूरी तरह से गलत हैं और उन्हें किसी भी फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह जिंदगी अल्लाह ने दी है और वही वापस ले लेंगे। आवामी लीग जमीन से उठी है। यह आसान नहीं होता है। मुझे बांग्लादेश के लोगों पर पूरा विश्वास है। वो इस भ्रष्टाचारी, उग्रवादी और हत्यारे यूनुस समेत उसके सहयोगियों को उखाड़ फेंकेंगे। लोग न्याय जरूर करेंगे। शेख हसीना ने अपने समर्थकों को संदेश देते हुए कहा, "मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूंगी और लोगों की भलाई के लिए काम करती रहूंगी। मैं बांग्लादेश के लोगों के लिए न्याय करूंगी। जो लोग मुझपर मानवाधिकार के उल्लंघनों का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बता दूं कि मैंने 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों को बांग्लादेश में शरण दी थी।

बीआरटीएस हटाने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ी

इंदौर। शहर के साढ़े 11 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की प्रक्रिया ने अब पूरे यातायात तंत्र को अस्त-व्यस्त कर दिया है। नगर निगम द्वारा पिछले दिनों कॉरिडोर की रैलिंग हटाने का काम शुरू किया गया था, जिसके बाद अब कॉरिडोर के भीतर बने आई बसों के आधुनिक बस स्टॉप तोड़ने का कार्य भी ठेकेदार फर्म ने शुरू कर दिया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के चलते सड़क पर लगातार धूल उड़ने लगी है, जिससे वाहन चालकों को आँखों में जलन और रास्ता साफ न दिखने जैसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं, साथ ही दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए निगम ने फिलहाल प्रीकॉस्ट डिवाइडर लगाने की योजना तैयार की है।

ताकि यातायात को कुछ हद तक व्यवस्थित किया जा सके। मुख्यमंत्री की घोषणा और हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस को हटाने का निर्णय तो ले लिया गया, लेकिन इसे तोड़ने के कार्य के टेंडर को मंजूरी मिलने में ही काफी समय लग गया। लगभग ढाई करोड़ रुपये की लागत वाले इस काम में रैलिंग हटाना, डिवाइडर तोड़ना और बस स्टॉप ध्वस्त करना शामिल है। निगम ने ठेकेदार को रात में रैलिंग हटाने और दिन में बस स्टॉप तोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस बीच निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव ने अपने निरीक्षण के दौरान अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए तत्काल प्रीकॉस्ट डिवाइडर लगवाए जाएं।

नगर निगम ने बीआरटीएस को हटाने के साथ ही नए निर्माण कार्यों की भी रूपरेखा बनाई है। 40 नए बस स्टॉप का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिन पर आगे चलकर ई-बसें संचालित होंगी। इसके अलावा नए सेंटर डिवाइडर की डिजाइनिंग कर तीन पैकेज में टेंडर बुलाए गए थे, लेकिन इनमें से दो पैकेज में केवल एक-एक ही कंपनी ने बोली लगाई। इस कारण निगमायुक्त ने इन टेंडरों को दोबारा बुलाने का निर्देश दिया है और महापौर परिषद की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। यदि ये दोनों टेंडर निरस्त होते हैं तो कार्य में कम से कम तीन से चार महीने की देरी और हो सकती है। जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि एक पैकेज का टेंडर मंजूर कर दिया गया है, जिसके तहत निरंजनपुर से एलआईजी तक का काम होना है। लेकिन आगे के दो पैकेजों पर निर्णय लंबित है। इसी बीच ठेकेदार फर्म ने आई बसों के वर्षों से उपयोग में आ रहे आधुनिक बस स्टॉपों को भी तोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे आई बसों के नियमित संचालन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। पहले आई बसें पूरी तरह कॉरिडोर में चलती थीं, लेकिन अब उन्हें सामान्य लेन में अन्य वाहनों के साथ चलना पड़ रहा है, जिससे जाम जैसी स्थिति बनने लगी है। नीरंजनपुर और सत्यसाई चौराहा पर एमपीआरडीसी द्वारा दो फ्लायओवर निर्माण कार्य भी चल रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों से आई बसों को कॉरिडोर से हटाकर सामान्य लेन में चलाया जा रहा था। वर्तमान स्थिति में बस स्टॉपों के भी हट जाने के बाद इन बसों को दोनों तरफ की लेन का उपयोग करना पड़ रहा है। शहर में प्रतिदिन लगभग 50 से अधिक आई बसें चलती हैं और करीब 55 से 60 हजार यात्री इनसे रोजाना सफर करते हैं। लेकिन वर्तमान अव्यवस्था के चलते इन यात्रियों को

जिले की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी

इन्दौर । इंदौर जिले में स्थित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय बनाये जाने की प्रक्रिया जारी है। जिले में अब तक 149 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाया जा चुका है।

इन समितियों के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इस कार्ययोजना के माध्यम से उक्त समितियों द्वारा जन औषधि केन्द्र, कॉमन सर्विस सेन्टर, गैस एजेंसी, पेट्रोल पम्प संचालन, बिल/टैक्स कलेक्शन, वेयर हाउस संचालन, उपार्जन केन्द्र, कृषि उपज के विपणन, कृषि आदानों के क्रय सहित अन्य गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय बनाने के संबंध में आज यहां कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उपायुक्त सहकारिता श्री मनोज जायसवाल, इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आलोक जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को बहुउद्देशीय बनाने के लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाए। इसमें अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाए।

बैठक में जिले की ऐसी पंचायत/गांव जहां बहुद्देशीय पैक्स या प्राथमिक दुग्ध उत्पादक एवं मत्स्य सहकारी समितियां कार्यरत नहीं है, वहां उनके गठन की समीक्षा गई। बताया गया कि जिले में 29 नई समितियों का पुनर्गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में पंजीकृत पैक्स की संख्या 120 से बढ़कर 149 हो गई है। वहीं 29 पुर्नगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के संबंध में नई समितियों के कम्प्यूटीकरण, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय को आवश्यक बजट आवंटन एवं कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही का अनुमोदन किया गया है। बताया गया कि जिले में 12 ग्रामों में नवीन दुग्ध उत्पादक समितियों का पंजीयन किया गया है। इस प्रकार जिले में कार्यरत दुग्ध उत्पादक समितियां जो पूर्व में 382 थी, 12 नई पंजीकृत होने से 394 हो गई है।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा होटल/धर्मशाला व लॉज, हॉस्टल आदि में चेंकिंग की कार्यवाही लगातार जारी...

होटल में रुकने वालो, किरायेदारो/कामगारों की जानकारी नही देने वाले, 22 लोगों के विरूध्द की गई 223 BNS की कार्यवाही

आदित्य शर्मा

इन्दौर - शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शहर में होटल/धर्मशाला व लॉज, होस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष चेंकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत इंदौर नगरीय क्षेत्र में बाहर से आकर काम करने वाले/रहने वाले कामगारों/श्रमिको/नौकरों, होटल में रुकने वालो तथा किराएदार आदि की जानकारी नियमित रूप से संबंधित पुलिस थानो पर देना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत इसका उल्लंघन करने वालो के वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम मे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा नगरीय क्षेत्र इंदौर मे दिनांक 15-11-25 को अभियान चलाकर कामगारों/

श्रमिको/नौकरों व किरायेदारों आदि की जानकारी ना देने 22 मकान/व्यवसाय व होटल व हॉस्टल मालिको के विरूध्द बी एन एस की धारा 223, 233 (ए) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। जिसके तहत -

पुलिस थाना गांधीनगर द्वारा 01 मकान मालिक - 01. मुकेश चौहान

पुलिस थाना एमआईजी द्वारा 01 मकान मालिक - 01. शिवनारायण मालवीय

पुलिस थाना कनाडिया द्वारा 02 मकान मालिक - 01. दीनदयाल कुमावत, 02 हिमांशु कारिया

पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा 01 मकान मालिक - 01. हितेश रायकवार

पुलिस थाना एमजी रोड द्वारा 01 मकान मालिक - 01. कमल कुशवाह

पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा 01 मकान मालिक - 01. रवि मंगवानी

व्यवसाय मालिको के विरूध्द कार्यवाही -

मल्हारगंज द्वारा 02 व्यवसाय मालिकों 1. शुभम मिश्रा, 2.यशदीप सोलंकी

पुलिस थाना विजय नगर द्वारा 02 व्यवसाय मालिकों 1.मयंक जीनवाल , 2.उषा बुसारिया

पुलिस थाना लसुड़िया द्वारा 03 व्यवसाय मालिकों 1. गौरव सिंह, 2.मनीष, 3.अजय साहू

पुलिस थाना खजराना द्वारा 01 व्यवसाय मालिकों 1.रुस्तम पटेल

पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा 01 व्यवसाय मालिकों 1.माखनलाल कुमावत

पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा 01 व्यवसाय मालिकों 1.कन्हैयालालगोदवानी

होटल संचालक के विरूध्द कार्यवाही -

पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा 01 होटल संचालक - 01. निर्भयसिंह

पुलिस थाना एमआईजी द्वारा 01 होटल संचालक - 01. राजकुमार प्रजापत

पुलिस थाना लसुड़िया द्वारा 01 होटल संचालक - 01. संदीप विश्वकर्मा

पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली द्वारा 01 होटल संचालक - 01. नरेश पांड्या

पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा 01 होटल संचालक - 01. विजय कौशल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट मे पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है जिसमे जारी आदेश के अनुसार किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा, छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना, होटल लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी ,ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर देना, मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार आदि की सुचना संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी।

अतः सभी आमजन से अपील की जाती है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वे अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले/रुकने वाले लोगों/किराएदार आदि की सूचना आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जरुर दें।

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की गुंडे, बदमाशों एवं असमाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही लगातार जारी...

आदित्य शर्मा

पुलिस द्वारा देर रात्रि की कॉम्बिंग गश्त में गुंडे बदमाशों एवं अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले असामाजिक तत्वों सहित लगभग कुल 1065 बदमाशो को चेक करते हुए, उनमे से 511 पर की उचित वैधानिक कार्यवाही। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 155 लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध की गई 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही।

सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध 14 प्रकरण तथा अवैध मादक पदार्थ का सेवन करने वालो के विरुद्ध 06 प्रकरण पंजीबद्ध कर बदमाशों/असामाजिक तत्वों पर की वैधानिक कार्यवाही।

हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग कर की चैकिंग व निगरानी।

इंदौर- दिनांक 16 नवंबर 2025- शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में , एडिशनल कमिश्नर (का./व्य.) श्री अमित सिंह व एडिशनल कमिश्नर (क्राइम) इंदौर श्री आर.के. सिंह के दिशा निर्देशन में इंदौर शहर के चारों जोन के नेतृत्व में, दिनांक 15-16 नवंबर की दरमियानी रात से सुबह तक नगरीय इंदौर के संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ पुलिस फोर्स ने सभी थाना क्षेत्रों में गुंडे बदमाशों असामाजिक तत्व पर निगरानी एवं धरपकड़ के लिए सरप्राइज

चैकिंग व कॉम्बिंग गश्त की गई।

इस दौरान इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों व असामाजिक तत्वों की निगरानी करते हुए लगभग कुल 1065 बदमाशो को चेक करते हुए, उनमे से 511 पर उचित वैधानिक कार्यवाही की गई हैं.... जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में वांछित कुल 214 से ज्यादा वारंटों को कराया गया तामील, जिसमें लंबे समय से फरार-- 55-स्थाई, 72-गिरफ्तारी और 87-जमानती वारंट के साथ ही 61 समंस भी किए गए तामील ।

इस दौरान अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए शराब पीकर वाहन चलाने वाले लापरवाह वाहन चालकों पर कड़ा प्रहार करते हुए, 155 वाहन चालकों के विरुद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई। और ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी ताकि शराब पीकर वाहन चलाते हुए लोगों की जान जोखिम में डालने वाले ऐसे लापरवाह वाहन चालकों की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके। अवैध मादक पदार्थ का सेवन करने वालो के विरुद्ध 06 प्रकरण पंजीबद्ध कर NDPS एक्ट की कार्यवाही की गई। वहीं सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध 23 प्रकरण पंजीबद्ध कर बदमाशों/असामाजिक तत्वों पर की वैधानिक कार्यवाही।

आदतन बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए- 170 BNSS में-17 व 129 BNSS में-03, 126B/135(3) BNSS में-35, इस प्रकार कुल 55 बदमाशो/असामाजिक तत्वों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही/समंस तामिल।

इस दौरान हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में ड्रोन पेट्रोलिंग कर की चैकिंग व निगरानी करते हुए, क्षेत्र के अपराधिक प्रवृत्ति के 215-गुंडे/बदमाशों, 42-नकबजनों, 09-लुटेरों, 92-चाकूबाजों, 163-निगरानीशुदा बदमाश और 33 जिलाबदर व रासुका के बदमाशों तथा महिला संबंधी अपराधों एवं वाहनों में आगजनी व तोडफ़ोड़ में संलिप्त अपराधियों सहित करीब कुल 554 से ज्यादा बदमाशों को चेक कर की कार्यवाही और आगे कोई अपराध ना करने की दी हिदायत । इस दौरान कई फरार अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में आये है, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान चेक किये/पकड़े गए बदमाशों को अपराध ना करने की हिदायत देते हुए उनसे डोजियर भी भरवाए गए हैं।

इंदौर पुलिस द्वारा गुंडे/बदमाशों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

इंदौर पुलिस की नो एंट्री का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही लगातार जारी...

आदित्य शर्मा

इंदौर - शहर में सुगम सुरक्षित व सुखद यातायात हेतु पुलिस कमिश्नर इंदौर के दिशा निर्देशन में पुलिस द्वारा लगातार यातायात प्रबंधन का कार्य एवं नियमो का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही भी की जा रही है।

इसी अनुक्रम में कल दिनांक 15 नवंबर की सुबह से आज 16 नवंबर की सुबह तक नो एंट्री में भारी वाहनों को लाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध, इंदौर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 09 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही कर 45000/- रुपये का समन शुल्क वसूल कर शासन के खाते में जमा कराया । साथ ही उन्हें हिदायत भी दी गई कि प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।

रणजीत टाइम्स
साप्ताहिक अख़बार
इंदौर प्रति मंगलवार, 18 नवम्बर 2025 से 24 नवम्बर 2025 तक

जल्द शुरू होगा

फ्लायओवर और मेट्रो स्टेशन का निर्माण

शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख चौराहों में से एक बड़ा गणपति चौराहा अब विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है।

इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) यहां साढ़े 23 करोड़ रुपए की लागत से फ्लायओवर का निर्माण करवाने जा रहा है। इसके साथ ही इसी स्थान पर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण भी प्रस्तावित है। दोनों प्रोजेक्ट एक साथ शुरू होने से आने वाले महीनों में बड़ा गणपति क्षेत्र का यातायात लंबे समय तक प्रभावित रहेगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि फ्लायओवर निर्माण से पहले चौराहे के बीच से गुजर रही नर्मदा पाइपलाइन और ड्रेनेज लाइन को शिफ्ट करना जरूरी है। इसके लिए नगर निगम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसके एवज में 3 करोड़ रुपए की राशि निगम को हस्तांतरित कर दी है, जबकि कुल लागत

लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए रहने की संभावना है

शेष राशि भी जल्द निगम को जारी की जाएगी। वहीं, मेट्रो कॉर्पोरेशन बड़ा गणपति चौराहा पर अंडरग्राउंड स्टेशन का निर्माण करेगा। हालांकि आसपास के दुकानदारों और रहवासियों ने इस काम का विरोध किया था।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि

मेट्रो का सारा निर्माण कार्य जमीन के नीचे होगा और इससे ऊपर के यातायात या संरचनाओं को कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा। प्राधिकरण ने इस फ्लायओवर के 3 लेन डिजाइन को मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई 543 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर होगी। खालसा कॉलेज की ओर इसकी लंबाई 122 मीटर, जबकि जिंसी चौराहा की ओर 125 मीटर वाया डक्ट बनाई जाएगी। पहले इसे 6 लेन में बनाने की योजना थी, लेकिन रोड की सीमित चौड़ाई को देखते हुए इसे 3 लेन में सीमित कर दिया गया। यह प्रोजेक्ट RCC Infra Project India Pvt. Ltd. को सौंपा गया है। टेंडर और वर्क ऑर्डर करीब एक साल पहले ही जारी कर दिए गए थे। तय अनुबंध के अनुसार, फ्लायओवर को 18 महीने में पूरा किया जाना था, जिसकी समय सीमा मई 2026 तय की गई थी। लेकिन चूंकि अभी तक ड्रेनेज और नर्मदा लाइन की शिफ्टिंग का काम शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए अब ठेकेदार फर्म को अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है।

सूत्रों के अनुसार, शहर में प्राधिकरण ने एक दर्जन से अधिक चौराहों पर फ्लायओवर निर्माण के लिए सर्वे कर लिया है, जिनमें कई स्थानों पर काम योजनाबद्ध चरण में है। वहीं, मेट्रो परियोजना और फ्लायओवर निर्माण के एक साथ शुरू होने से बड़ा गणपति क्षेत्र में लंबे समय तक खुदाई और निर्माण कार्य चलते रहेंगे, जिससे आसपास की सड़कें, गली-मोहल्ले और वैकल्पिक मार्गों पर यातायात डायवर्ट करना पड़ेगा।

हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन विकास कार्यों के पूरा होने के बाद शहर के इस हिस्से में यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा और बड़ा गणपति चौराहा इंदौर के आधुनिक और स्मार्ट ट्रैफिक नेटवर्क का अहम केंद्र बन जाएगा।

सरपंचों को हैं 25 लाख रूपए तक के कार्य कराने के अधिकार मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था में सरपंच के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। सरपंच अपनी पंचायत को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। सरपंचों के माध्यम से ही प्रदेश में ग्राम विकास का कारवां चल रहा है। ग्राम स्तर पर सभी कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही हो रहा है।

पंचायत व्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से पंचायतों को 25 लाख रूपए तक के कार्य करने का अधिकार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए 50-50 हजार रुपए की राशि अंतरित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नगरीयनिकायों के समान पंचायतों में भी विकास योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पंचायतों को गांव के विकास की योजना बनाने के लिये सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल में पंचायत प्रतिनिधियों की कॉन्फ्रेंस आगामी 24 से 26 नंवबर को होने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को जंबूरी मैदान पर आयोजित सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कार्यक्रम स्थल पर भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सरपंच संघों के प्रतिनिधियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दिल्ली में हुए कार विस्फोट को अत्यंत दु:खद बताया। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की क्षमता पर भरोसा है। भारत सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के लिए अभियान छेड़ रखा है।

पंचायतों को मिलेंगे कार्यालय और सामुदायिक भवन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने तीनों स्तर के पंचायत संस्थान के लिए कार्यालय और गांवों के लिए सामुदायिक भवन की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में प्रदेश की पंचायतों के लिए 2472 अटल पंचायत भवन, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत भवन तथा 5 जिला पंचायत भवन स्वीकृत किए हैं। गांव के शांति धाम भी व्यवस्थित रूप से विकसित हों, इस उद्देश्य से दिसम्बर 2026 तक सभी शांति धाम अतिक्रमण से मुक्त कर उनके पहुंच मार्ग बनाने और आवश्यक फेंसिंग और पौधरोपण कार्य के निर्देश दिए गए हैं।

आबकारी विभाग इंदौर की सशक्त कार्यवाही- अवैध मदिरा विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई

आदित्य शर्मा

इंदौर। कलेक्टर जिला इंदौर श्री शिवम् वर्मा के आदेश, सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी के निर्देशन तथा कंट्रोलर श्री देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर श्री मनोज अग्रवाल के मार्गदर्शन में, जिला आबकारी विभाग इंदौर द्वारा विभिन्न वृत्तों में अवैध मदिरा विक्रय एवं मदिरापान कराने वाले प्रतिष्ठानों पर संयुक्त रूप से सघन कार्यवाही की गई।

वृत्त भोई मोहल्ला की कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री सी. के. साहू के नेतृत्व में, आबकारी उप निरीक्षक त्रिअंबिका शर्मा की टीम द्वारा वृत्त क्षेत्र भवानी नगर में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आरोपी अर्जुन पिता सजन सिंह पवार के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी के कब्जे से चार पेटी देसी मदिरा (36 लीटर) जप्त की गई, जिसकी कुल बाजार कीमत लगभग 19,000 पाई गई। इस कार्रवाई में आबकारी आरक्षक प्रमोद शेठे, निशा शेखावत एवं राजू जाम्बेकर का सराहनीय योगदान रहा।

वृत्त आंतरिक क्षेत्र क्रमांक-1 एवं मालवा मिल (A) की कार्रवाई

सहायक जिला आबकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल,कमलेश सोलंकी के मार्गदर्शन में, आबकारी उप निरीक्षक आशीष जैन की टीम द्वारा बायपास क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान कराने वाले ढाबों पर सघन कार्यवाही की गई। शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्रवाई में न्यू पंजाबी ढाबा, वीर द पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, भवानी ढाबा, भुक्कड़ ढाबा, फूलमून ढाबा, हिबिस्कस ढाबा, लालटेन ढाबा एवं न्यू सिटिंग जोन ढाबा पर छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान अवैध रूप से मदिरापान कराते पाए जाने पर कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36(क) एवं 36(ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर कुल 15.6 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 25,200 पाई गई।

वृत्त मालवा मिल (B) एवं छावनी की कार्रवाई

आबकारी उप निरीक्षक सुनील मालवीय की टीम द्वारा बायपास क्षेत्र में अवैध रूप से मदिरापान कराने वाले ढाबों पर सघन कार्यवाही की गई। शनिवार एवं रविवार को की गई इस कार्रवाई में वीर द पंजाबी ढाबा, गिल ढाबा, हिबिस्कस ढाबा एवं शिकारवाड़ी ढाबा पर छापामार कार्यवाही की गई। इस दौरान कुल 8 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36(क) एवं 36(ख) के अंतर्गत 4.95 बल्क लीटर मदिरा जप्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 5,500 पाई गई। आबकारी विभाग इंदौर द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा आगामी दिनों में भी अवैध मदिरा विक्रय एवं सेवन के विरुद्ध इसी प्रकार की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

वृत्त आंतरिक क्षेत्र क्र 2 आबकारी इंदौर की कार्यवाही

आदित्य शर्मा

कलेक्टर महोदय जिला-इंदौर , श्री शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार तथा कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी जी ,डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल जी के नेतृत्व में आज दिनांक 10/11/2025 को वृत्त आंतरिक 2 प्रभारी जया मुजाल्दे ने अपनी टीम के साथ नवदापंथ क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की है।

कार्यवाही में

ग्राम सवलियाखेड़ी में गश्त के दौरान एक दोपहिया वाहन क्रमांक MP09QC 4539 सफेद रंग की टीवीएस स्पोर्ट्स बाइक से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही 45 पाव देशी मदिरा जब्त कर आरोपी जितेन्द्र पिता केशरसिंह ठाकुर नि-रंगवासा इंदौर(मप्र) को पकड़ लिया गया। आरोपी के विरुद्ध म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।जब्त मदिरा और वाहन की कुल कीमत रुपए 49500 निकाली गई है। कार्यवाही में वृत्त प्रभारी जया मुजाल्दे,आबकारी आरक्षक उस्मान मिर्जा , राहुल जामोद और ड्राइवर रफीक चाचा का सराहनीय योगदान रहा ।

आबकारी इन्दौर की कार्यवाही

आदित्य शर्मा

इंदौर। कलेक्टर महोदय जिला-इंदौर, श्रीमान शिवम वर्मा जी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी जी के द्वारा दिये निर्देशानुसार तथा कंट्रोलर महोदय देवेश चतुर्वेदी एवं डिप्टी कंट्रोलर मनोज अग्रवाल तथा सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में आज दिनांक 11.11.2025 को वृत्त - पलासिया प्रभारी प्रियंका रानी चौरसिया की टीम के द्वारा भंडारी ब्रिज पर अवैध मदिरा परिवहन एवं डोर टू डोर मदिरा सप्लाय के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई ।

कार्यवाही में एक दोपहिया वाहन Access 125 स्कूटर MP09-DF-3956 * से अवैध परिवहन कर ले जाई जा रही 24 बोतल विदेशी मदिरा बरामद की गई। मदिरा वाहन सहित जप्त कर आरोपी रोहित पिता मुकुंद पँवार के विरुद्ध *आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मदिरा व वाहन का कुल बाजार मूल्य लगभग 123400/- रुपए है। आज की कार्यवाही में आबकारी आरक्षक तरुण सिंह जाट, परमजीत कौर, अजय चंद्रवाल तथा ड्राइवर मनोज का सराहनीय योगदान रहा ।

रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड में चलाई गई भिक्षावृत्ति के विरुद्ध बड़ी मुहिम

दीपक वाड़ेकर » रणजीत टाइम्स

विशेष संवाददाता

इंदौर। सरवटे बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन में भिक्षावृत्ति की खबरें प्राप्त होते ही इंदौर कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार महिला बाल विकास विभाग की रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैंड में भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की । इस मुहिम में सरवटे बस स्टैंड से आठ भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को रेस्क्यू कर रेन बसेरा में आश्रय प्रदान किया गया । वहीं दल ने आज रेलवे स्टेशन में रात्रि 12:00 बजे तक अभियान चलाकर लगभग 14 भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को रेस्क्यू किया एवं लगभग आठ लोगों को समझाएं देकर अपने मूल स्थान भेजा गया। जिसमें से कुछ लोग उज्जैन एवं देवास में रहने वाले थे. रेलवे पुलिस आरपीएफ के द्वारा बताया गया कि रेलवे स्टेशन में इन भिक्षुकों के द्वारा लगातार भिक्षावृत्ति की जा रही थी और महिनो से यहां पर डेरा डालकर रहा जा रहा था, कुछ भिक्षुक के द्वारा रात्रि में लगातार शराब पीकर हंगामा भी किए जाने की शिकायतें रेलवे स्टेशन में लगातार आ रही थी। आज की मुहिम में महिला बाल विकास व रेस्क्यू दल नोडल अधिकारी ने बताया कि रेलवे स्टेशन एवं सरवटे बस स्टैंड मे संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई जिसमें लगभग 25 से 30 सदस्य शामिल थे यहां पर महिला बाल विकास के साथ ही नगर निगम, श्रम विभाग होमगार्ड विभाग, रेलवे पुलिस तथा एनजीओ के सदस्य शामिल थे. इस प्रकार के कार्यवाही लगातार आगे भी की जाती रहेगी और ऐसे स्थल जहां पर भिक्षुओं ने अपने अस्थाई निवास बना लिए हैं उन क्षेत्रों में भी कार्यवाही की जाएगी. जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा (महिला बाल विकास) ने बताया कि जो लोग कंबल या खाना बांट रहे हैं वह कृपया सड़कों और रास्तों में वितरण करने की अपेक्षा रेन बसेरा एवं निराश्रित आश्रम ,बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम में अपना सहयोग प्रदान करें और शासन के द्वारा चलाई जा रही मुहिम में सहयोग प्रदान करें।

रणजीत टाइम्स » दीपक वाड़ेकर

इंदौर पुलिस की असामाजिक तत्वों व संदिग्धों पर निगरानी हेतु हाई-टेक ड्रोन पेट्रोलिंग लगातार जारी....

»» पुलिस टीमो द्वारा ड्रोन के माध्यम से की जा रही हैं, हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में सघन चैकिंग व पेट्रोलिंग। बीडीडीएस टीम द्वारा शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों की गई विशेष चैकिंग। मोहल्ला समिति की बैठकों से भी लगातार किया जा रहा है नागरिकों से सीधा जनसंवाद।

इंदौर- शहर में अपराधों पर नियंत्रण व बेहतर पुलिसिंग हेतु असामाजिक तत्वों व बदमाशों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए, इनके हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में विशेष निगरानी तथा चेकिंग एवं पेट्रोलिंग के दौरान ड्रोन का उपयोग कर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। साथ ही आमजन से बेहतर समन्वय हेतु मोहल्ला समिति की बैठकें कर जनसंवाद के लिए भी निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों पर चारों जोन के डीसीपी के मार्गदर्शन मे शहर के सभी थाना क्षेत्रों में मोहल्ला समिति की बैठकें करने के साथ ही पुलिस टीमों द्वारा सघन चैकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही हैं तथा इसे और प्रभावी कर आधुनिक तकनीकों जैसे ड्रोन व कैमरों के द्वारा भी अवैधानिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी की जा रही हैं।

इस कड़ी मे जोन-01

थाना आज़ाद नगर क्षेत्रांतर्गत में हॉटस्पॉट व शैडो एरिया मे ड्रोन पेट्रोलिंग व चैकिंग की गई। थाना मल्हारगंज क्षेत्र के पंचकुइयां व आसपास के हॉटस्पॉट एरिया में ड्रोन से पेट्रोलिंग की गई। थाना तेजाजी नगर क्षेत्र के नायता मुंडला, अमलतास मल्टी व लिम्बोदी चौपाटी एवं आसपास के हॉटस्पॉट व शैडो एरिया मे ड्रोन पेट्रोलिंग व चैकिंग की गई। थाना सदर बाजार क्षेत्र में बड़वाली चौकी के आसपास के हॉटस्पॉट एरिया ड्रोन से संदिग्धों की चैकिंग की गई।

जोन-02

थाना खजराना क्षेत्रांतर्गत एडिशनल डीसीपी जोन-02 श्री अमरेंद्र सिंह द्वारा खजराना गणेश मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को देखा और आसपास के एरिया चेकिंग व निगरानी की गई । थाना विजय नगर क्षेत्रांतर्गत विभिन्न मॉल में और आसपास के इलाकों में चैकिंग व पेट्रोलिंग की गई। थाना कनाड़िया क्षेत्रांतर्गत फीनिक्स मॉल में और आसपास के इलाकों में चैकिंग व पेट्रोलिंग की गई।

जोन-03

थाना बाणगंगा क्षेत्र में डीसीपी जोन-03 श्री राजेश व्यास व एसीपी श्रीमती रूबीना मिजवानी की विशेष उपास्थिति में क्षेत्र के हॉटस्पॉट व शैडो एरिया मे ड्रोन पेट्रोलिंग व चैकिंग की गई। थाना छोटी ग्वालटोली क्षेत्रांतर्गत सरवटे बस स्टैंड, झाबुआ टावर व आसपास के हॉटस्पॉट एरिया मे ड्रोन पेट्रोलिंग कर असामाजिक तत्वों व संदिग्धों से पूछताछ की गई । थाना हीरानगर क्षेत्रांतर्गत स्कीम136 व आसपास के हॉटस्पॉट एरिया एवं शैडो एरिया में संदिग्धों की चैकिंग की गई। थाना एमजी रोड क्षेत्रांतर्गत के हॉटस्पॉट एरिया एवं शैडो एरिया में संदिग्धों की चैकिंग की गई।

जोन-04

थाना सराफा क्षेत्रान्तर्गत राजवाड़ा व आसपास के हॉटस्पॉट व शैडो एरिया मे ड्रोन पेट्रोलिंग कर विशेष चैकिंग की गई। थाना छत्रीपुरा क्षेत्र के शेडो एरिया व गंगवाल बस स्टैंड आदि में चेंकिंग कर संदिग्धों को चेक किया गया। थाना द्वारिकापुरी क्षेत्र के अहिल्या उद्यान सिरपुर तालाब के आसपास के हॉटस्पॉट व शैडो एरिया में पेट्रोलिंग व चेंकिंग की गई। इस प्रकार असामाजिक तत्वों व संदिग्धों की चैकिंग व पेट्रोलिंग के साथ आम नागरिकों के साथ मोहल्ला मीटिंग कर जनसंवाद कर नशे के दुष्प्रभावों व इनके कारण बढ़ने वाली आपराधिक प्रवृत्ति के बारें में भी जागरूक किया गया। पुलिस द्वारा ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही बीडीडीएस टीम के साथ शहर के सभी प्रमुख स्थलों राजवाड़ा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख मॉल व महत्वपूर्ण स्थानों की विशेष चेंकिंग एचएचएमडी व डॉग स्कवायड की सहायता से की गई।

नियम कायदे ताक पर रख ,कैडबरी फैक्ट्री छोड़ रही प्रदुषित जल

रहवासियों की बढ़ी मुसीबत, पशु पक्षियों पर भी मडराया संकट

दिव्यानंद अर्गल

मालनपुर :- औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में संचालित मांडलेज (केडवरी) इंटरनेशनल कंपनी गंदा दूषित बदबूदार जल प्रदूषण छोड़कर रह वासियों के लिए मुसीबत बन रही है। कंपनी द्वारा भारी मात्रा में कंपनी से दूषित गंदा बदबूदार पानी बाहर नाले में छोड़ा जा रहा है जिससे दुर्गंध और बीमारी फैल रही है। दूषित पानी के चलते राह चलना भी दुश्वार हो रहा है ,कंपनी के दूषित पानी से उठ रही दुर्गंध और मच्छरों के चलते लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं श्वास, दमा, उल्टी ,बुखार, आंखों में जलन जैसी बीमारियों के शिकार हो रहा है, इतना ही नहीं कंपनी के पानी से मूक जानवर भी चपेट में आ रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं।

गांव में भरा कंपनी का पानी

फैक्ट्री के पास ही स्थित खुमान का पुरा गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के मैदान में कंपनी का दूषित पानी भर गया है जिसके चलते ग्रामीणों को काफी समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहीं आंगनबाड़ी के बच्चे भी खेल मैदान में खेलकूद नहीं कर पा रहे हैं।गांव के निवासी सुरेंद्र गौड ने बताया कि कंपनी प्रबंधन सारे नियम कायदों को ताक पर रख दूषित पानी छोड़कर रह वासियों को बीमार बना रहा है इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों शिकायत करने की बात कही। तो वहीं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता सचिन शर्मा ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भिंड कलेक्टर को कंपनी के विरुद्ध शिकायत करने की बात कही है। दूषित पानी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा चिकित्सकों के अनुसार क्षेत्र में प्रदूषित पानी पीने से मनुष्यों में जठरांत्र संबंधी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि दस्त, उल्टी और पेट दर्द एवं स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। प्रदूषित पानी जमीन के माध्यम से भूजल में रिस सकता है, जिससे पीने के पानी के स्रोत भी दूषित हो सकते हैं।

इनका कहना है

केडवरी कंपनी द्वारा छोड़े जा रहे प्रदूषण के संबंध में मुझे भी जानकारी मिली है , कंपनी पूर्व में भी प्रदूषण छोड़ने के मामले में विवादों में रह चुकी है। प्रदूषण से क्षेत्र की आबो हवा खराब हो रही है।प्रदूषण छोड़ रही कंपनियां की लिस्ट तैयार कर ली है मामला विधानसभा में उठाऊंगा।

-केशव देसाई
विधायक गोहद

पिछोर की काजल ने शिवपुरी में दिखाया दम, रही विजेता

जगदीश पाल

शिवपुरी/पिछोर

अस्मिता एथलेटिक्स लीग शिवपुरी खेलो इंडिया 2025 टैलेंट सर्च प्रतियोगिता में 60 मीटर दौड़ और लंबी कूद एथलेटिक्स प्रतियोगिता में काजल लोधी ने जीता गोल्ड(अंडर 14 वर्ग) मेडल यह प्रतियोगिता 10 नवंबर को माधवराव सिंधिया खेल परिसर में आयोजित हुई। जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया । पिछोर से प्रतिभागीयों की सफलता में उनके कोच अतर सिंह गौर (जोंटी गुरु) (कोऑर्डिनेटर खेल युवा कल्याण विभाग ब्लॉक पिछोर) एवं उनके विद्यालय के शिक्षक शीतल शर्मा (प्रधानाचार्य), कमलेश शर्मा आदि का विशेष योगदान रहा। फिलहाल में काजल शिवलोक पब्लिक स्कूल पिछोर की छात्रा है। उनके पिता अमोल सिंह लोधी लभेडा गांव के निवासी हैं। बिटिया ने अपना श्रेय माता-पिता व गुरुजनों को देना बताया।

बंदियों की विधिक जागरूकता उनके सुधार और पुनर्वास हेतु सार्थक कदम - जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान

न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत उपजेल देपालपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन

देपालपुर (इंदौर)- न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर के तत्वावधान में सबजेल देपालपुर में निरुद्ध बंदियों के अधिकारों एवं विधिक सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन समिति अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला ख़ान के मुख्यआतिथ्य में किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश श्री हिदायत उल्ला खान ने कहा कि- “विधिक सेवा संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तक सुलभ पहुँच सुनिश्चित करने का माध्यम हैं। विधिक अधिकारों की जानकारी ही सुधार और पुनर्वास की दिशा में पहला कदम है।”

इस शिविर में जिला न्यायाधीश श्री खान ने निरुद्ध बंदियों को मुफ्त विधिक सहायता, अपील के अधिकार, नशा मुक्ति, पुनर्वास योजनाओं और समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन जीने की संभावनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक सार्थक जानकारी दी । कार्यक्रम के दौरान संवादात्मक सत्र भी आयोजित हुआ, जिसमें बंदियों ने भी अपने प्रश्न रखे और उनका समाधान प्राप्त किया।

यह जागरूकता शिविर 9 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक चल रहे “न्यायोत्सव-विधिक सेवा सप्ताह” का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक न्यायिक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना तथा “न्याय सबके लिए” की भावना को साकार करना है। इस अवसर पर सीनियर सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रिज़वाना कौसर , सुश्री सुमित्रा ताहेड़, सुश्री दिव्या श्रीवास्तव, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस.कुशवाह, प्रमुख मुख्य प्रहरी रामेश्वर झणिया, मुख्य प्रहरी भैरम सिंह धाकड़, प्रहरी विवेक शर्मा, महिला प्रहरी एकता पटेल, आरती सोलिया, नर्स शिवानी श्रीवास्तव, आईटी अस्सिटेंट इंदल राय, नायब नाजिर दिलीप यादव, आदेशिका वाहक मुकेश खत्री, आरक्षक विजय सहित संपूर्ण जेल स्टाफ एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह के पांचवे दिवस आंगनवाड़ी केंद्र में मनाया गया कार्यक्रम

जगदीश पाल

पिछोर (शिवपुरी) पिछोर में न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत13 नम्बबर गुरुबार कोआंगनबाड़ी केंद्र छावनी ग्रामपंचायत जराय तहसील में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला शिवपुरी श्रीमती रंजना चतुर्वेदी के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में न्याय उत्सव विधिक सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया !जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में चल रही योजनाओं के संबंध में टीकाकरण योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना,लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना,

पोषण आहार योजना के अंतर्गत विस्तृत रूप से चर्चा उक्त कार्यक्रम की मुख्य अतिथि न्यायाधीश महोदय सुश्री नेहा प्रजापति प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड पिछोर के द्वारा की गई, कार्यक्रम में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार तिवारी उपस्थित थे साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती सुनीता गुप्ता, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता तथा विधिक सेवा समिति पिछोर के कर्मचारी धर्मेंद्र राजोरिया पीएलबी भानु प्रताप, न्यायालय कर्मचारी सूरज पाल,आरिफ खान उपस्थित थे !

पिछोर में अपराध और पुलिस निष्क्रियता के विरोध में कांग्रेस का पांच दिवसीय सांकेतिक धरना

दैनिक रणजीत टाइम्स

जगदीश पाल

पिछोर (शिवपुरी): पिछोर विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते अन्याय, अत्याचार, मारपीट और बेलगाम अपराधियों की गतिविधियों के खिलाफ, तथा पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता एवं निर्दोष लोगों पर दर्ज की जा रही झूठी

एफआईआर के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा एस.डी.ओ.पी. कार्यालय, पिछोर के समक्ष पांच दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह आंदोलन क्षेत्र में व्याप्त अपराध, प्रशासनिक उदासीनता और निर्दोष नागरिकों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का जनसंघर्ष है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिछोर , अध्यक्ष कृष्ण कांत छिरोलिया ने और कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और युवा संघर्ष समिति के सदस्यों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में, पीड़ित परिवारों के साथ इस धरना प्रदर्शन में भाग लें और न्याय के इस आंदोलन को सशक्त बनाएं। धरना शुक्रवार, 14 नवंबर 2025, प्रातः 10 बजे से एस.डी.ओ.पी. कार्यालय, पिछोर में आयोजित किया जाएगा।

आकाश अमलकर जी के कार्य की जमकर लोगो ने तारीफ की

पत्रकार »» खुशबू श्रीवास्तव

धार। सामाजिक कार्य से आष्टा जाना हुआ संयोगवश लोगों से मुलाकात हुए लोगों से चर्चा करते समय आष्टा पुलिस के बारे में बाते हुए उन बातों में लोगो ने आकाश अमलकर जी के कार्य की जमकर लोगो ने तारीफ की , आष्टा के लोग आकाश अमलकर जी के कार्य से बहुत संतुष्ट एवं सुरक्षित महसूस दिखे उनकी आंखों में पुलिस विभाग के प्रति एक अलग ही सम्मान की भावना दिखाई दी, स्थानीय लोगों ने बताया कि आकाश अमलकर जी विगत 3 वर्षों से यहां कार्यरत है और लोगों की खूब दिल से मदद करते है एवं अपराधियों को बक्शते नहीं है अपराधियों में आकाश अमलकर जी का भय बना हुआ है जिससे आष्टा भय मुक्त तो हुआ ही है लेकिन लोगों का मानना है कि आकाश अमलकर जैसे अधिकारी बहुत ही मुश्किल से मिलते है लोगो का प्रेम देखकर पुलिस के प्रति में नितिन चंदेल गदगद हो गया क्योंकि श्री आकाश अमलकर जी श्री चिड़ार समाज से आते है उनके द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ लोगो से सुनकर मन हर्ष से प्रफुल्लित हो गया सहज सरल एवं मधुरभाषी आकाश अमलकर जी लोगों से आम आदमी की तरह मिलते है जिससे आष्टा में लोग अपने दिल की बात निडरता पूर्वक बता देते है जिससे आष्टा पुलिस का लोगो में प्रेम भी बढ़ रहा है एवं अपराधी में पुलिस से कांप रहे है आष्टा के स्थानीय निवासी भय मुक्त होकर व्यवसाय कर रहे है , महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं वहां के स्थानीय लोगों ने यह मुझे बताया सुनकर मेरा मन गदगद हो गया क्योंकि में नितिन चंदेल भी श्री चिड़ार समाज से आता हु में आशा करूंगा कि श्री आकाश अमलकर जी ओर आष्टा के रहवासियों का प्रेम यूंही बना रहे।

वीडियो कोच बस में यात्रियों की जगह भरा था साढ़े पांच लाख खोपरा, आरटीओ ने पकड़ा

आरटीओः प्रदीप शर्मा

पत्रकार »» खुशबू श्रीवास्तव

इंदौर। शहर में नियमविरूद्ध चल रही बसों के खिलाफ परिवहन विभाग, प्रशासन और यातायात पुलिस ने संयुक्त जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक वीडियो कोच बस को पकड़ा गया गया तो उसमें बड़ी मात्रा में खोपरा भरा हुआ था। इसे उत्तर प्रदेश भेजा जाना था। अधिकारियों ने तत्काल खाद्य एवं औषधी प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया। जिन्होंने उसके सेंपल लिए है। बस को जब्त किया है। टीम ने कुल 6 बसों को जब्त किया है। जबकि 9 बसों से करीब 95 हजार का जुर्माना शुल्क वसूल किया गया है।

आरटीओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि बीते दिनों कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन में संयुक्त जांच दल ने मंगलवार को वर्ल्ड कप चौराहा और तीन इमली बस स्टैंड क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाते हुए यात्री सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार की दिशा में बड़ी कार्वाई की। शर्मा ने बताया कि जांच के दौरान परमिट, फिटनेस, इमरजेंसी गेट, फायर सेफ्टी सिस्टम, फर्स्ट एड बॉक्स, एचएसआरपी, रिफ्लेक्टर सहित अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 6 बसों को जप्त किया गया, 9 बसों से 95,000 का जुर्माना वसूला गया, 2 बसों से 1.64 लाख टैक्स की वसूली की गई और 1 बस की फिटनेस रद्द की गई। इस दौरान टीम को एक पब्लिक वीडियो फुटेज भी प्राप्त हुआ, जिसमें एक प्राइवेट पासिंग मैजिक वाहन पालदा रोड पर बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल ले जाते हुए दिखाई दी। वाहन की पहचान कर उसके विरुद्ध भी कार्वाई की जा रही है। कार्वाई में आरटीओ प्रदीप शर्मा, एसडीएम ओम नारायण बड़कुल ट्रैफिक एसीपी मनोज खत्री, सहित पूरी जांच टीम शामिल रही। अधिकारियों ने बताया कि यह संयुक्त अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

आत्मनिर्भरता हमारी भारतीयता का सांस्कृतिक मूल्य है - डॉ. भरत शर्मा

आदित्य शर्मा

पंडित दीनदयाल अन्त्योदय योजना को कृतसंकल्पित संस्था अर्हम सेवा संकल्प, संस्था प्रयास, मणिराम ज्वैलर्स, समाजसेवी अलका सैनी और इंदौर नगर निगम के माध्यम से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित “आत्मनिर्भर उत्सव मेला” आयोजन के समापन अवसर पर संस्कृति मंत्रालय- भारत सरकार, सदस्य डॉ. भरत शर्मा का सम्मान संस्थान की निदेशिका मोनिका कर्णावत द्वारा स्मृति चिह्न देकर किया गया। उक्त अवसर पर डॉ. भरत शर्मा ने कहा कि भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रही आत्मनिर्भरता स्वावलंबन, आर्थिक नीति ही नहीं वरन् भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का परिचायक है। भगवद्गीता में संबोधित —“स्वधर्मे निष्ठा” का पर्याय हमे अपने धर्म, कर्म, तप और क्षमताओं से प्राप्त स्वावलंबन और विकास का मार्ग बताते रहे। अपने प्रकल्प के प्रति नैतिक और व्यावहारिक जिम्मेदारी का एहसास और समर्पण का भाव हमारी जीवन शैली रही है। भारत अपने कौशल और अपने मूल्यों से विश्व को नई दिशा देने की क्षमता रखता है । स्वदेशी के प्रति हमारी आसक्ति हमारे विकास का आधार है। उक्त अवसर पर शहर के गणमान्य नागरिक राकेश खंडेलवाल, सुनील पटेल, गौरव पटेल, मुकेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र पौराणिक और शिक्षाविद राजीव झालानी उपस्थित रहे।

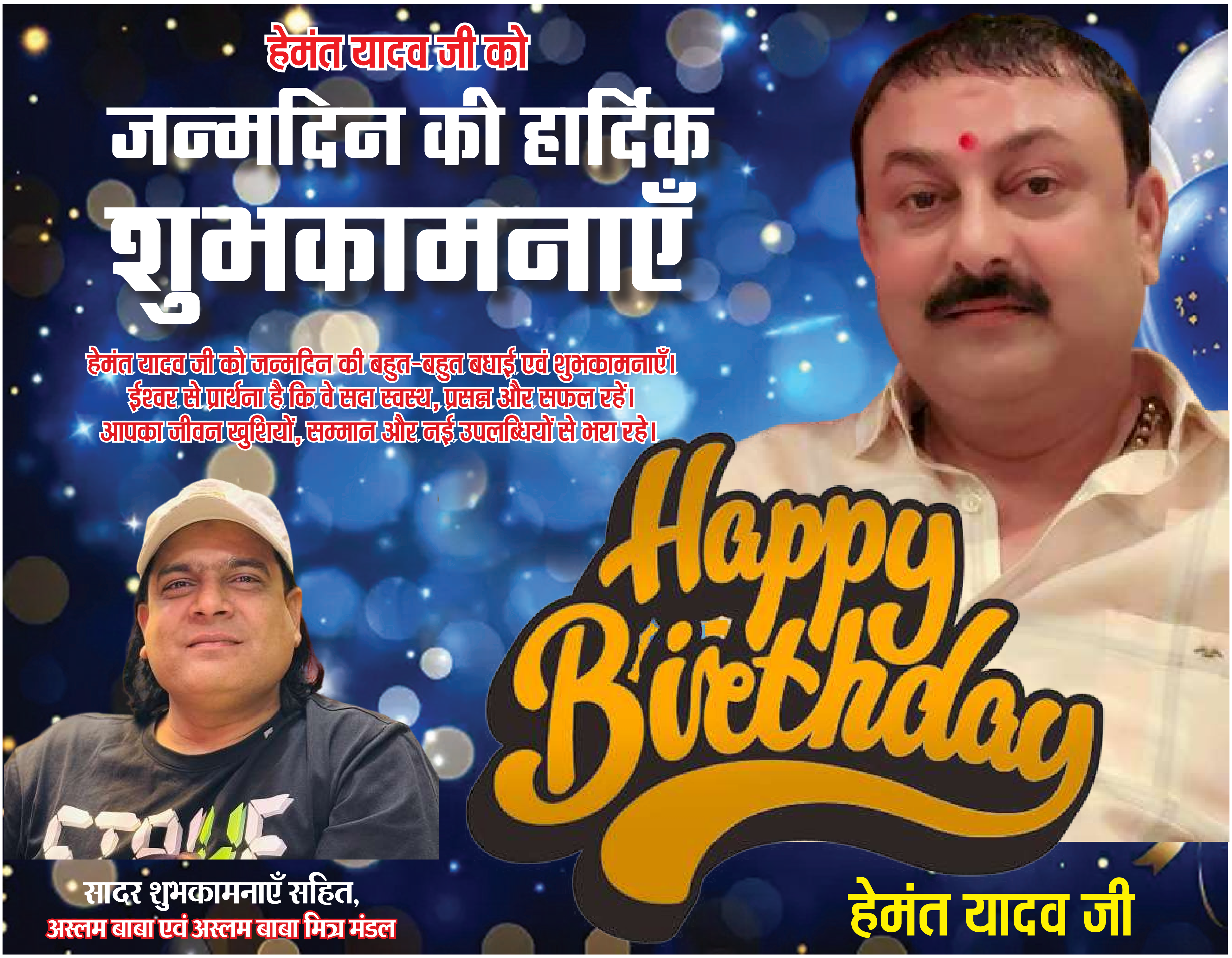

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एल.यू.एन 22 सेक्टर एफ सांवेर रोड़, इण्डस्ट्रीयल एरिया इंदौर म.प्र. एवं जी -1 कॉस्मिक रीजेंसी 117 गोकुल नगर कनाडिया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित
संपादक गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (सभी विवादो का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)